प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **185/2025** (अपील सूचना का अधिकार)
Rajendra Gautam Rajput S/o Gautam Rajput Add: Room no. 544, Sanjay nagar, Govt. Colony, Bandra East, Mumbai 400051

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 14/01/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329211271897699 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 07.09.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/185/25/1213–14 दिनांक 01.12.2025 तथा ऑनलाईन पत्र क्रमांक 9917068353 दिनांक 01.12.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा जरिये पत्रांक स. लो.सू.अ./2025/3786 दिनांक 23.12.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.09.2025 को आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर बिन्दु संख्या 1 से 6 तक कि बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में बिन्दु संख्या 1, 4, 5, 6 की सूचना तहसील कार्यालय कुराबड़ से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत कार्यालय के पत्र क्रमांक 2817 दिनांक 11.09.2025 से अंतरित कर दिया गया था एवं बिन्दु संख्या 2 व 3 के संबंध में प्रार्थी को पूर्ण विवरण अंकित करने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक 2818 दिनांक 11.09.2025 से पत्र प्रेषित किया गया। अतः निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी से 6 बिन्दुओं के संबंध में सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा चाहे गये बिन्दु संख्या 1, 4, 5, 6 का संबंध तहसील कार्यालय कुराबड़ से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत निर्धारित समयावधि में जरिये पत्रांक 2817 दिनांक 11.09.2025 से तहसील कार्यालय कुराबड़ को अंतरित किया गया। बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना विस्तृत होने से प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 2818 दिनांक 11.09.2025 से सूचना का पूर्ण विवरण

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

अंकित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुये है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14-01-2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर